राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांकः प. 3(7)शिक्षा–4/2014 पार्ट

जयपुर, 03.06.2020

1. कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. कुलपति, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
3. कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
4. कुलपति, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
5. कुलपति, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
6. कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
7. कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
8. कुलपति, पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
9. कुलपति, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
10. कुलपति, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
11. कुलपति, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
12. कुलपति, गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा।
13. कुलपति, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर।
14. कुलपति, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर।

विषयः–विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थगित परीक्षायें करवाने व आगामी शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने के संबंध में।
संदर्भः–विभाग का पत्र दिनांक 19.3.2020 एवं 12.04.2020

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित पत्रों के संदर्भ में लेख है कि प्रदेश में कोविड–19 महामारी के प्रभाव स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों में स्थगित परीक्षाओं के आयोजन तथा आगामी सत्र 2020–21 की कार्य योजना के संदर्भ में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा गठित टास्क फोर्स के सुझावों, राज्य सरकार द्वारा पूर्व में गठित विशेषज्ञ समिति से पुनः मंत्रणा, राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राप्त सुझावों, लोकडाउन के संदर्भ में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों तथा यूजीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थगित परीक्षायें आयोजित करने एवं आगामी सत्र के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिये गये हैः–

1. शैक्षणिक सत्र 2019–20 की स्थगित हुई परीक्षाओं का आयोजन, स्थिति सामान्य होने पर, जुलाई मध्य से करवाया जाए। स्नातक तृतीय वर्ष तथा स्नात्तकोत्तर उत्तरार्द्ध की परीक्षाएं पहले आयोजित करवाई जावें।
2. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोविजनल रूप से अगले वर्ष में क्रमोन्नत कर दिया जाये। बाद में परिस्थितियां अनुकूल होने पर स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तथा स्नात्तकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष की परीक्षाएं करवाई जावें।
3. परीक्षाएं दो पारियों में आयोजित करवाई जावें एवं दोनों पारियों के मध्य एवं परीक्षा आरंभ करने से पूर्व परीक्षा केन्द्र को भलिभांति सेनेटाईज करवाया जावे।

---2

4. स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया सीबीएसई एवं आरबीएसई के परीक्षा परिणाम आने के बाद प्रारंभ की जावे तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध की प्रवेश प्रकिया विश्वविद्यालयों की स्नातक तृतीय वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात प्रारंभ की जावे।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर ई–कन्टेंट के स्लॉट पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए कंटेंट को अपलोड किया जाएगा। महाविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए ई–कन्टेंट को आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा की वेबसाईट पर भी अपलोड किया जाएगा। विश्वविद्यालय परस्पर एक दूसरे के साथ ई–कन्टेंट को साझा कर सकेंगे।
6. केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 के संदर्भ में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के आलोक में सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिये परीक्षा केन्द्रों की संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जावे तथा परीक्षार्थी की परीक्षा केन्द्र में प्रवेश से पूर्व थर्मल स्कैनर से स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाए। हैल्थ प्रोटोकोल की पालना सुनिश्चित करते हुए परीक्षार्थियों एवं अध्यापकों द्वारा मास्क पहनने तथा सेनेटाईजर की अनिवार्यता सुनिश्चित की जावे।
7. कोविड–19 के प्रति विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा करने हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी पोस्टर्स परीक्षा केन्द्र पर चस्पा किये जावें।
8. परीक्षाओं की गोपनीयता एवं पवित्रता तथा कोविड–19 के संदर्भ में स्वास्थ्य मानकों की पालना हेतु अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित हो तो विश्वविद्यालय स्वविवेकानुसार सुनिश्चित करें।
9. उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया में गति लाते हुए, परीक्षा परिणाम शीघ्रता से घोषित किये जावे।

अतः उपरोक्तानुसार कार्य योजना बनाकर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीया,

(शुचि शर्मा)
शासन सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल राजस्थान, राजभवन, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा।
5. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. कुलसचिवगण, समस्त संबंधित राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय।
7. कुलसचिवगण, समस्त निजी विश्वविद्यालय।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव,उच्च शिक्षा